(3)

कार्यालय परिसम्पत्ति अधिकारी
गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर, उधम सिंह नगर

दिनॉकः नवम्बर 08, 2024

पत्रॉकःइस्टेट/आ0आ0स0/659

कार्यालय आदेश

आवास आवंटन समिति की दिनॅाक 12.08.2024, 16.10.2024 एवं 23.10.2024 को सम्पन्न बैठक में निम्नानुसार लिये गये निर्णयों एवं कतिपय पूर्व आदेशों पर पुनर्विचार कर लिये गये निर्णयों को सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैः

1.	विभागीय आवासों के सापेक्ष सम्बन्धित कर्मी की स्वीकृति समाप्त होंने/कार्य छोड देने पर 30 दिन उपरान्त पैनल किराये के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ठेका कर्मियों की उपस्थिति विवरण में विभागाध्यक्ष द्वारा यह अंकित किया जाये कि कर्मी कों आवंटित विभागीय आवास का किराया जमा है अथवा नही, यह परिसम्पत्ति कार्यालय में किराया जमा किये जाने वाले Payment Format मे ही अवश्य इंगित कर दिया जाये। स्वीकृति समाप्त होंने/कार्य छोड देने के 30 दिन उपरान्त भी यदि विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय आवास रिक्त कर परिसम्पत्ति कार्यालय को नही सौपा जाता है तो श्रम कल्याण कार्यालय से उक्त सम्बन्ध में वस्तुस्थिति ज्ञात कर तत्काल प्रभाव से आवास निरस्त कर परिसम्पत्ति कार्यालय द्वारा कब्जे में ले लिया जाये। उक्त नियम सभी ठेका कर्मियों व पुर्ननियोजित कर्मियों पर लागू होगा।
2.	विभागीय रूप से आवंटित आवासों में पायी जा रही अनियमितओ, उपकिराये एवं व्यवसायिक गतिविधियों के दृष्टिगत आवास किराये बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय आवासों में सम्बन्धित कर्मी यदि स्वयं या अपने परिवार के साथ आवासित नही पाया जाता है तो आवास निरस्त कर उसकी सेवाएँ भी समाप्त कर दी जाये। विभागीय आवासों में उपकिराये व व्यवसायिक गतिविधियॉ न होने पाए, उक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त कार्य हेतु गठित समिति (निदेशक, निर्माण एवं सयन्त्र, सुरक्षाधिकारी, परिसम्पत्ति अधिकारी अथवा नामित) द्वारा समय--समय पर निरीक्षण के उपरान्त उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्य किया जाये।
3.	विभागीय रूप से आवंटित आवासों के सापेक्ष अधिकतम तीन/छः माह का आवास किराया एडवान्स जमा कराये जाने के विषय में समिति द्वारा चर्चा उपरान्त संस्तुति की गई कि विभागीय आवासों के सापेक्ष तीन माह अथवा स्वीकृत अवधि, जो भी पहले हो तक का किराया अग्रिम के रूप में जमा कराया जा सकता है। यदि इसी बीच ठेका कर्मी कार्य छोड़ देता है अथवा प्रशासनिक कारणों से उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती है तो उक्तानुसार एक माह के अन्दर आवास रिक्त कर परिसम्पत्ति कार्यालय को विभागाध्यक्ष द्वारा, विधिवत् देयता पूर्ण कर सौपना होगा। उक्त नियम सभी ठेका कर्मियों व पुनर्नियोजित कर्मियों पर लागू होगा।
4.	कैम्पस स्कूल में वि0वि0 द्वारा संस्तुत (जी0डी0एक्स) के माध्यम से नियोजित कर्मियों को विभागीय आवास के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति बनी की कैम्पस स्कूल के ठेका कर्मी जो विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत वाह्य सेवादाता (जी0डी0एक्स) के माध्यम से नियोजित है उन्हें नियमानुसार समान्य दरों पर विभागीय आवास दिया जा सकता है। यदि ठेका कर्मी कार्य छोड देता है तो उसके देयता की वसूली सम्बन्धित प्रधानाचार्य, कैम्पस स्कूल के द्वारा करायी जायेगी क्योकि आवास ठेका कर्मी को नही वरन् सम्बन्धित प्रधानाचार्य वास्ते कर्मी आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।
5.	फार्म एस--27 पर परिसम्पत्ति कार्यालय की आख्या के विषय में समिति द्वारा द्वारा निर्णय लिया गया कि फार्म एस--27 का प्रपत्र यदि सक्षम अधिकारी की द्वारा अनुमोदित नही है, तो उसमें से परिसम्पत्ति अधिकारी की आख्या सम्बन्धी कॉलम हटा दिया जाये। यदि फार्म--27 सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है, तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति विषयक Permission letter सुरक्षा कार्यालय से प्राप्त कर लिया जाये।
6.	विभागीय आधार पर नियमित कर्मियों हेतु विभागीय आवास आवंटन किये जाने पर विचार किये जाने सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक नियमित कर्मचारी का वरिष्ठता से अर्ह श्रेणी का आवास नियमानुसार परिसम्पत्ति कार्यालय द्वारा आवंटित किया जाता है तथा शत प्रतिशत कार्मिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध भी करायी गई है। ऐसी स्थिति में बिना वरिष्ठता के नियमित कर्मियों को विभागीय आधार पर आवास दिया जाना किसी भी दशा में उचित नही होगा। भविष्य में यदि विभागाध्यक्ष द्वारा ऐसे आवास दिये जाते है तो वह निरस्त कर दिये जायेगें।
7.	स्व0 डा0 बलविन्दर के आवास सं0 I/7 के सापेक्ष सामान्य किराये जमा कराये जाने विषयक प्रकरण पर समिति द्वारा सहानुभूतिपर्वूक विचारोपरान्त सहमति बनी की मृतक आश्रित के आधार पर उनके परिवार के सदस्य के नियोजन तक वे नियमानुसार सामान्य किराये पर आवास में रह सकते है तथा आवास किराया एवं अन्य देयता जमा कराया जा सकता है ताकि उन पर आर्थिक भार न पडे किन्तु नियमानुसार उनके परिवार के सदस्य को नियोजन एवं आवासीय सुविधा प्राप्त होने पर उनके द्वारा उक्त आवास को नियमानुसारं रिक्त कर परिसम्पत्ति कार्यालय को सौपना होगा

	अन्यथा पैनल किराया देय होगा।
8.	आवास आवंटन हेतु अन्य वाह्य इकाईयों के प्रार्थनापत्रों पर विचारः
	1. श्रीमती अनुपमा आर्या, स0अ0,रा0बा0इ0का, पन्तनगर के आवास आवंटन विषयक प्रार्थनापत्र पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रा0बा0इ0का0 के पूर्व कर्मी श्री हरीश चंद्र पाण्डें आवास संख्या 850/40 पर लम्बित देयक रु0 3,30,540.00 जमा होने पर ही अन्य कर्मियों को आवासीय सुविधा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तद्नुसार प्रधानाचार्य, जी0जी0आई0सी0 को अवगत करा दें।
	2. बायोटेक, हल्दी को आवासीय सुविधा दिये जाने पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में हल्दी परिसर के टूटने के कारण वि0वि0 के नियमित कर्मियों को सर्वप्रथम परिसर में आवासित करना होगा । तदोपरान्त ही आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर बायोटेक के कर्मियों को आवासीय सुविधा दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
	3. श्रीमती रश्मि शर्मा, प्राथमिक विद्यालय, फूलबाग के आवेदन पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिसर में तैनाती होने के कारण नियमानुसार आवासीय सुविधा दिये जाने पर विचार कर लिया जाये।
	4. एन0सी0सी0 आर0एण्ड वी एवं एन0सी0सी0 एयर विंग को आवासीय सुविधा दिये जाने पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वि0वि0 में इनकी उपयोगिता को देखते हुये एन0सी0सी0 आर0एण्ड वी0 एवं एन0सी0सी0 एयर विंग के कर्मियों उपलब्धता के आधार पर विभागीय आवास नियमानुसार आवंटित कर दिया जाये।
	5. श्रीमती सुनीता, सहा0अ0,राजकीय प्राथमिक विद्यालय,फूलबाग को आवास आवंटन समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि सम्बन्धित कर्मी को नियमानुसार उनकी श्रेणी का आवास आवंटित किया जा सकता है। नियमानुसार उनके पति को आवंटित तीन कक्षीय आवास सं0 1106, उनके नाम आवंटित किया जाना सम्भव नही होगा, वैसे भी तीन कक्षीय आवास हेतु वि0वि0 कर्मी काफी समय से प्रतीक्षारत् है। इसी प्रकार अन्य विद्यालियों के नियमित कर्मियों के प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार आवास की उपलब्धता होने पर विचार किया जा सकता है।
9.	पूर्व आवास आवंटन बैठक में विकल्प के आवासों पर स्थगित की गई कार्यवाही पर पुनः विचारार्थ सम्बन्धी प्रकरण पर समिति द्वारा अवगत कराया गया कि कुलपति जी के निर्देशानुसार आगामी समय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर होने वाली नियुक्तियों के दृष्टिगत रिक्त आवासों पर विकल्प की कार्यवाही अभी स्थगित रखी जाये।
10.	10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के आधार पर तीन पसन्द के आवासों का विकल्प देना होता है। इन आवासों में से कतिपय कर्मियों द्वारा अपने किसी विशिष्ट आवास को आवंटन हेतु लिखित रूप से मना करता है, उस आवास को आंवटित नही किया जाता है, अतः ऐसे प्रकरणों पर समिति द्वारा काफी विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कोई भी नियमित कर्मी नियमानुसार अपनी पसन्द के एक, दो या अधिकतम तीन आवासों में 10 एवं 20 प्रतिशत की धनराशि जमा कर आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकता है किन्तु जमा की गई धनराशि तब तक वापस नही की जायेगी जब तक कि उसके विकल्पानुसार सभी चाहे गये आवास में से कोई एक आवास आवंटी को आवंटित न हो जाये।
11.	सचिव, पन्तनगर स्टाफ सर्पोट्स क्लब को आवास आवंटन विषयक प्रकरण पर समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि सचिव, पन्तनगर स्टाफ स्पोर्ट्स को एक कक्षीय आवास, कार्यालय उपयोग हेतु आवंटित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
12.	विद्युत विभाग के अवर अभियन्ताओं को 2 कक्षीय श्रेणी चार के आवास आवंटन विषयक पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विस्तृत समीक्षा उपरान्त आगामी आवास आवंटन सामिति की बैठक में पुनः वि0वि0 में वाह्य सेवादाता के माध्यम से नियोजित अवर अभियन्ताओं अथवा समकक्ष की एक सारिणी तैयार कर ली जाये ताकि तद्नुसार यथोचित् निर्णय उपरान्त इनके आवासीय प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। उक्त सम्बन्ध में माननीय श्री गणेश जोशी जी, मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, के पत्र संख्या 13426 दिनाँक 11.07.2024 के द्वारा परिसर के अवर अभियन्ताओं को 2 कक्षीय आवास आवंटित करने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में विश्वविद्यालय नियमानुसार विचार किया जायेगा।
13.	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि0 एवं उत्तराखण्ड जैव प्रोद्योगिक परिषद् द्वारा आवास की माँग के सम्बन्ध मे समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पत्थरचटा एवं हल्दी में कुल आवासों की संख्या एवं श्रेणी तथा आवासित कार्मिकों का विवरण विभाग सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये प्रकरण पर कुलपति जी से चर्चा उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।
14	सेवानिवृत भण्डारक श्री आर0 डी0 भास्कर के पैनल किरायें के संबंध में बैठक में सन्दर्भित विषय पर चर्चा हुई कि इस तरह के अन्य सभी प्रकरणों जैसे श्री शिवेन्द्र विक्रम सिंह व अन्य का भी विवरण संकलित कर आगामी आवास आवंटन की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

15	बौद्धिक प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रार्थना पत्र दिनॉक 14.09.2024 के अनुसार श्रेणी .तीन के 20 प्रतिशत के आधार पर आवंटित आवासों के सापेक्ष किये गये अनुरोध पर समिति द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रेणी तीन के आवास रिक्त होने के 05 कार्यदिवस तक 20 प्रतिशत जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। अग्रेत्तर 20 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त वरिष्ठतानुसार ही आवास आवंटित किया जायेगा।
16	विभागीय आवासों के माँग के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आवासीय विश्वविद्यालय होने के कारण प्रत्येक विभाग के कर्मियों को आवास दिया जायेगा, किन्तु आवास उपलब्धता की दशा में ही विचार किया जायेगा। समिति द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि प्रत्येक विभाग को ठेका कर्मियों हेतु सम्बन्धित विभाग में कुल कार्मिकों की संख्या का 80 प्रतिशत विभागीय आवास ही आवंटित किया जा सकता है।
17	परिसर में अवस्थित व्यवसायिक दुकानों एवं परिसर मे लगने वाली साप्ताहिक हाट बाजार के खोलने एवं बन्द करने का निर्धारण के विषय में समिति द्वारा सभी परिसरवासियों की सुविधा का ध्यान रखते हुये संस्तुत किया गया कि दुकानों एवं साप्ताहिक हाट का समय पूरे वर्ष सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक (मेडिकल सेवाओं को छोड़कर) निर्धारित रहेगा।
18.	सेवायोजन एवं परामर्श निदेशालय कार्यालय में श्रीमती उमा जोशी पत्रवाहक के पद पर कार्यरत 2 कक्षीय आवास के आवंटन के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण पर समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गई। नियमों से इतर कार्यवाही किये जाने पर समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गई। सम्बन्धित कर्मी को मेडिकल आधार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संस्तुति उपरान्त) पर 2 कक्षीय आवास की सुविधा कुलपति जी के विवेकाधिकार में है। अतः कुलपति जी से अलग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विचार किया जा सकता है।
19.	एस0आर0एफ0 / जे0आर0एफ0 एवं समकक्ष स्वीकृति उपरांत पुनः नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र परिसम्पत्ति कार्यालय में समय पर नही दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष के द्वारा जे0आर0एफ0 / एस0आर0एफ0 / समकक्ष आदि की पूर्व स्वीकति समाप्त होने पर नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पादित कराते हुये एक माह के अन्दर आवेदन किया जाये अन्यथा की स्थिति में रू 500 रु प्रति माह की दर से सम्बन्धित जे0आर0एफ0 / एस0आर0एफ0 / समकक्ष द्वारा पैनल्टी देय होगी ।

आवास आंवटन समिति के उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति दिनॉक 30.10.2024 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं

08/11/24

परिसम्पित्ति अधिकारी

प्रतिलिपि

1. समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / विभागाध्यक्ष को विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवणं
3. नियन्त्रक।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. लेखाकार, परिसम्पत्ति कार्यालय।
6. फोरमैन, परिसम्पत्ति कार्यालय।